

22/21

प्रभावली पत्रा हुआ। आज आननापव...
कार्य स्थगित रखा है। अतः पूर्व आवेशानुसार
प्रभावली दि 26-2-21 को पैडा दो

26-02-21

प्रभावली चेष्टा हुई। काकीबाप/ वकील कादीबाप
हैं। प्रभावलीबाप दोनों पक्षों में से कोई
हाजिर नहीं आये हैं। आज न्यायालय में
पुत्रक-पुत्रक समय तीन-तीन बार दोनों
पक्षों को आवाजें लगावायीं गयीं। कौनों पक्षों
में कोई आन सायं 5:00 बजे तक न्यायालय
में हाजिर नहीं आये हैं। अतः वाद काठी
का बाबत न्यायालय आताजी व ल्यायी विवेचना
की धर 53, 188 शतक काइतः इतिवृत्त
का अदम्य हाजिरी व अदम्य पैरों में एतद्वारा
खारिज किया जाता है। प्रभावली कौंसल
कुमार लेकर नंबर से कम लेकर दाखिल
दफ्तर है। आवेश खुले न्यायालय में सुनाया
जाकर मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय मुहर
से किया जाती किया गया।

सहायक कलक्टर
सोमर लेक /

